FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्रीराम पुत्र जीवनदास वैष्णव निवासी ईटन्दरा मेड़तियान तहसील रानी जिला पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 26 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं जिसकी सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	574-75 6/5/19
29/5/19	अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार के तहत पेश कर विकास अधिकारी रानी के कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई थी। अपीलांट के प्रार्थना पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली द्वारा प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी रानी को अन्तरित करते हुए अपी० श्री राम को भी जरिए पत्रांक 1462 दि 2/11/2018 के सूचित किया गया था। अपी० द्वारा उक्त कार्यालय में सम्पर्क करने के स्थान पर और अपील प्रार्थना पत्र की इस न्यायालय में दाखिल कर दी तथा विकास अधिकारी रानी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उनका अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा यह अपील सूचना के अधिकार अधि० 2005 के अनुसार सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है जिसकी अपील पं० स० रानी के प्रधान के समक्ष की जानी चाहिए थी। इस प्रकार यह अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। लोक सूचना अधि० (A.D.M.) पाली द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर की प्रति अपीलांट को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	764 4/6/19